न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–584 / 2026

(झाझा थाना कांड संख्या 224 / 2025 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

रामबिलास दास

बनाम

राज्य सरकार

आदेश

01.06.2026 1– प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन **1. रामबिलास दास** उम्र लगभग 32 वर्ष, पिता नीरो दास, साकिन करहरा, थाना लक्ष्मीपुर, जिला जमुई द्वारा झाझा थाना कांड संख्या 224 / 2025 अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 118(1), 109(1), 333, 303(2), 352, 351(2), 3(5) में गिरफ्तारी की आशंका को लेकर दाखिल किया गया है। उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता **रविन्द्र कुमार** तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री शक्तिलाल शर्मा को सुना गया।

2– अभियोजन का कथानक संक्षेप में यह है कि दिनांक 13.05.2025 को रात्रि लगभग 8:00 बजे सूचिका के पति नुनलाल दास पे0 स्व0 गिरधारी दास उम्र 51 वर्ष अपने घर पर अकेले थे तभी सूचिक के गांव करहरा के ही रहने वाले लोग निरोदास पे0 प्रभू दास, चन्द्रवतिया देवी जौजे निरो दास, रामविलास दास, अशोक दास दोनों पे0 निरो दास, गुहन दास पे0 भूलो दास रानी देवी जौजे गुहन दास, सभी लाठी भुजाली तथा रॉड से लैस होकर जबरन सूचिका के घर के अन्दर घुस गये और सूचिका के पति के साथ गाली–गालौज कर जबरदस्त तरीके से मारपीट करने लगे। तब रामविलास दास ने अपने हाथ में लिए रॉड एवं अशोक दास ने अपने हाथ में लिया लाठी चलाकर सूचिका के पति को जान मारने के नियत से हमला कर दिया जिससे सूचिका के पति के सिर पर जोर से चोट लगा और सिर फट गया और वे लहूलुहान हो गये तब अशोक दास ने रॉड से प्रहार कर उनके सीने एवं दाहिने हाथ पर मारकर कंधा भी तोड़ डाला। इतने में भी वे लोग वहां पर नहीं माने, उक्त लोग सूचिका के पति को मारपीट करके उनके घर से खींचकर अपने घर को ले जाने लगे। परन्तु आसपास के लोगों ने वहां पर पहुंचकर उनकी जान बचायी एवं उनलोगों ने मारपीट के क्रम में सूचिका के घर पर रखा दोनों मोबाईल जीयो (मो0 नं0 9546928242)तथा रेडमी कंपनी का, निकाल कर भाग गये। मुदालहगण काफी मनबढ़ू है तथा उनलोगों का मंशा सूचिका को कमजोर जानकर पुनः मारपीट करने का है।

3– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को परिचालित कर निवेदन करते हैं कि पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका को लेकर आवेदक द्वारा यह अग्रिम जमानत आवेदन न्यायालय में दाखिल किया गया है। यह कि आवेदक और अन्य सहअभियुक्त की ओर से इसी न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1500 / 25 दाखिल किया गया था जिसे न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष क्रिमिनल मिसलेनियस संख्या 89918 / 25 दाखिल किया गया था जिसमें वाद का निष्पादन का सत्र न्यायालय को निर्देश देते हुए कहा गया है, कि वह सूचक के पति की चोट पर डॉक्टर की अंतिम राय मांगे। इसमें आगे कहा गया कि यदि चोट सामान्य है

लगातार.....

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–584/2026

(झाझा थाना कांड संख्या 224/2025 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

रामबिलास दास

बनाम

राज्य सरकार

01.06.2026

लगातार

तो आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है यदि उनकी चोट गंभीर पाई जाती है तो आवेदक को आत्मसमर्पण करने और सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष नियमित जमानत मांगने का निर्देश दिया गया है। यह कि आवेदक झाझा थाना कांड संख्या 293/18 जी0आर0 नंबर 2331/18 में भी अभियुक्त है जिसमें वह जमानत पर है। यह कि आवेदक को 35(3) बी0एन0एस0एस0 के तहत कोई नोटिस नहीं दी गई है। यह कि आवेदक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा उपरोक्त क्रिमिनल मिसलेनियस मामले में दी गई टिप्पणीयों के आलोक में दाखिल किया गया है क्यों कि सूचक के पति को आई चोट की प्रकृति साधारण है जैसा कि केस डायरी में सलग्न टी0सी0आर0 में दर्शाया गया है। यह कि आवेदक द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है वह पूर्णतः निर्दोष है। यह कि इस वाद के आवेदक की मां द्वारा झाझा थाना कांड संख्या 225/25 जो इस वाद का काउन्टर केस है, सूचिका और उसके पति व सदस्यों के विरूद्ध दर्ज कराया गया था। यह कि आवेदक के विरूद्ध लगाए गए धाराओं में कुछ धाराओं को छोड़कर सभी धाराएं जमानतीय हैं जो उनके विरूद्ध नहीं बनता है। यह कि आवेदक पर सूचिका के पति के सिर पर रॉड से हमला करने का झूठा आरोप लगाया गया है लेकिन चोट साधारण प्रकृति का है और इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आवेदक अग्रिम जमानत का पात्र है। यह कि सूचिका घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और धारा 333 और 303(2) बी0एन0एस0 का आरोप विशिष्ट नहीं है बल्कि सर्वव्यापी एवं सामान्य प्रकृति का है। यह कि आवेदक धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 के तहत न्यायालय के सभी शर्तों को मानने को तैयार है तथा आवेदक न्यायालय के संतुष्टि के अनुसार न्यायालय में बंधपत्र दाखिल करने को तैयार हैं अतः आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं।

4– अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

5– उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त है। प्राथमिकी धारा 126(2), 115(2), 118(1), 109(1), 333, 303(2), 352, 351(2), 3(5) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार आवेदक पर आरोप है कि अन्य सहअभियुक्तों के साथ आवेदक भी लाठी, भुजाली, रॉड से लैश होकर जबरन सूचिका के घर में घुस गए और सूचिका के पति के साथ गाली गलौज देकर जबरदस्त तरीके से मारपीट करने लगे तथा रामबिलास ने अपने हाथ में रॉड एवं अशोक दास ने अपने हाथ में लिये लाठी चलाकर सूचिका के पति पर जान मारने के नियत से हमला कर दिया। सूचिका के पति के सिर पर रॉड से काफी चोट लगा है उसका सिर फट चुका है तथा वे

लगातार.....

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–584/2026

(झाझा थाना कांड संख्या 224/2025 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

रामबिलास दास

बनाम

राज्य सरकार

01.06.2026

लगातार

लहुलूहान हो गए तथा अशोक दास ने रॉड का प्रहार करके उनके सीने एवं दाहिने हाथ में मारकर कंधा भी तोड़ डाला। वे लोग इतने पर भी वहां नहीं माने तथा सूचिका के पति को मारपीट करके सूचिका के घर से खींचकर अपने घर ले जाने लगे परंतु आसपास के लोगों ने वहां पर पहुंचकर उनकी जान बचायी। उन लोगों ने मारपीट के क्रम में सूचिका के घर के अन्दर रखा दोनों मोबाईल जीयो रेडमी जिसमें जियो सिम 9546928242 लगा हुआ था वह भी निकालकर लेकर भाग गए। वाद दैनिकी की कंडिका 05 में घटनास्थल का विवरण है। वाद दैनिकी की कंडिका 02 में वादी ने अपने पुनः बयान में अभियोजन के केस का पूर्णतः समर्थन किया है। वाद दैनिकी की कंडिका 07 में साक्षी नन्हकेश्वर दास ने भी घटना का पूर्णतः समर्थन किया है। कंडिका 08 में जख्मी साक्षी नुनलाल दास ने भी घटना का पूर्णतः समर्थन किया है। वाद दैनिकी की कंडिका 26 में नुनलाल दास के जख्म का प्रतिवेदन है जिसमें जख्म की प्रकृति को रिजर्व रखा गया है तथा वाद दैनिकी की कंडिका 45 में पूरक जख्म प्रतिवेदन है।जिसके अवलोकन से ज्ञात होता है कि जिसमें जख्म की प्रकृति साधारण अंकित है परंतु नोट में अंकित है कि जख्म का रिपोर्ट प्राप्त होने पर जख्म की प्रकृति गंभीर हो सकती है। पुनः जख्म की प्रकृति आवेदक के आपराधिक इतिहास एवं अद्यतन कांड दैनिकी का मांग किया गया उसके पश्चात् राजेश कुमार सिंह सह अ0नि0 झाझा, जमुई द्वारा डी0आर0 संख्या 1967/26 दिनांक 26.05.2026 के द्वारा उक्त कांड का वाद दैनिकी संख्या 01 से 11 कंडिका 01 से 94 तक, जख्म जांच प्रतिवेदन एवं अपराधिक इतिहास भेजा गया है तथा चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिकी स्वा0 केन्द्र झाझा जमुई द्वारा भी जख्मी नूनलाल दास का पूरक जख्म जांच प्रतिवेदन अंतिम रूप से लिखते हुये थाना को हस्तगित कराते हुए एक प्रति न्यायालय में भेजा गया है। उक्त जख्म प्रतिवेदन तथा वाद दैनिकी की कंडिका 91 के अवलोकन से विदित होता है कि जख्मी नूनलाल दास को कारित जख्म नंबर 03 जो प्रारंभिक रिर्पोट में अंकित है, उसकी प्रकृति गंभीर है तथा वाद दैनिकी की कंडिका 91 में जख्मी के सीने एवं सर्वाइकल एवं कंधे तथा रीड़ की हड्डी का एक्स–रे रिपोर्ट की छायाप्रति भी संलग्न है। वाद दैनिकी में साक्षियों के बयान तथा प्राथमिकी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ रॉड से सूचिका के पति के सिर पर एवं सीने तथा हाथ पर मारकर गंभीर रूप से जख्मी करने का सीधा आरोप है। यह कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल मिसलेनियस संख्या 89818/2025 में दिनांक 15.01.2026 को पारित आदेश में इस निर्देश के साथ आवेदक का प्री अरेस्ट जमानत खारिज किया जाता है कि "The learned District Court is directed to call for the final opinion of the doctor in respect of the Injury sustained

लगातार.....

01.06.2026

by the husband of the informent and if it is found that the same is simple in nature, then in that case, the petitioner, above name, are directed to be released on pre-arrest bail.”

तथा डॉ0 द्वारा भेजे गये जख्म प्रतिवेदन में जख्म की प्रकृति गंभीर बतायी गई है। वाद का अनुसंधान अभी जारी है आरोप पत्र अभी समर्पित नहीं किया गया है।

अतः इस वाद की तथ्य एवं परिस्थितियों एवं उपरोक्त विवेचन तथा माननीय उच्च न्यायालय पटना के उक्त आदेश के आलोक में आवेदक को वाद के इस प्रक्रम पर अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, जमुई